

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

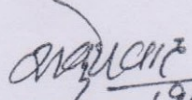
क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2025/1007

दिनांक: 19/08/25

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय परिसर में सुबह एवं शाम के समय भ्रमण करने वाले बाहरी आगंतुकों को सूचित किया जाता है, कि वह अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थान पर ही खड़े करें एवं शाम 08:00 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर खाली करें। शाम 08:00 बजे के उपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में घूमना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अन्यथा कि स्थिति में उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आदेशानुसार


कुलसचिव 19/8/25

प्रतिलिपि:-

1. मैसर्स शर्मा सिक्योरिटी एजेंसी, मोहन नगर थाटीपुर, ग्वालियर।
2. सुरक्षा प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलगुरु के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. प्रभारी, आई0टी0 सेल की ओर इस आशय के साथ प्रेषित की वह उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु।


सहा0-कुलसचिव (प्रशा0)